



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई-मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

स्थायी आदेश संख्या 01/2018

22 मई 2018 को शिलांग

विषय: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के संदर्भ में लावारिस / जब्त किए गए सामानों का निष्पादन |


सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 48 के अनुसार, सामान को सीमा शुल्क स्टेशन पर उतारने के 30 दिनों के अन्दर खाली कर देना है। हालांकि, उचित अधिकारी (उप / सहायक आयुक्त) द्वारा इसमें वृद्धि किया जा सकता है। उपर्युक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार, जानवरों, विनाशकारी वस्तुओं और खतरनाक सामानों को किसी भी समय बेचा जा सकता है हथियार और गोला बारूद केवल केंद्र सरकार के उचित अनुमति के बाद ही बेचा जायगा। यदि सामान लावारिस / अस्पष्ट है उसे आवश्यकतानुसार निपटाया जा सकता है। लावारिस/ अस्पष्ट सामानों के निपटान के तरीके से संबंधित प्रावधान और बिक्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 और 150 में निहित है। सीमा शुल्क मैनुअल में लावारिस या / अस्पष्ट वस्तुओं की बिक्री की प्रक्रिया सीमा शुल्क के अध्याय 20 में दी गई है।

अब, कस्टोडियन (सीवीसी द्वारा परीक्षा में जारी किए गए मुद्दे में CONCOR) और सीमा शुल्क (प्रक्रिया में शामिल होने की सीमा तक) की प्रक्रियाओं की जांच करते समय केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने प्रक्रिया में निर्धारित मानदंडों से पाया, अस्पष्ट / लावारिस कार्गो की नीलामी पर कस्टोडियन द्वारा नीलामी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, सरकारी खजाने के हित में और बिडर की सुविधा के लिए, सीवीसी ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

1. नीलामी प्रक्रिया से संबंधित कस्टोडियन और सीमा शुल्क के बीच सभी संचार और पत्राचारों को ओन-लाइन किया जाना चाहिए और इन्हें किसी भी पक्ष द्वारा 72 घंटों के भीतर पारस्परिक रूप से पारित किया जाना चाहिए ताकि नीलामी के संचालन को अधिकतम 3-5 महीनों के भीतर किया जा सके।
2. नीलामी "संचालन और निष्कर्ष" के लिए सख्त समय सीमा तैयार की जानी चाहिए।
3. बिडर के लिए पर्याप्त मार्जिन के साथ कस्टोडियन द्वारा रिजर्व मूल्य रखा जाना चाहिए और केवल ई-नीलामी का संचालन करना चाहिए, ताकि दोनों पक्षों के पर्याप्त वित्तीय हित को सुरक्षित किया जा सके और 4 वीं नीलामी एवं अनचाही नीलामी जहां कम कीमत पर बेचा जा सके।

4. ई-नीलामी के माध्यम से पहली नीलामी में नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।
5. नीलामी सभी अनिवार्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही किया जाना चाहिए। अपेक्षित एजेंसियों से तृतीय पक्ष रिपोर्ट सुरक्षित करने के बाद सीमा शुल्क को सभी सही एनओसी जारी करना होगा। सशर्त एनओसी वाले मामलों को नीलामी के लिए नहीं माना जाएगा।
6. चूंकि नमूना निकासी प्राधिकरण सीमा शुल्क है, इसे सीमा शुल्क द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि औपचारिक सभी सही एनओसी जारी किए जाने से पहले तीसरे पक्ष / प्रयोगशालाओं / विभागों के सभी अनिवार्य परीक्षण सुनिश्चित किए जाए।
7. एनओसी लेने के बाद ही संरक्षक को शुरुआत में आगम पत्र लेने होंगे। एनओसी देने से पूर्व ही सीमा शुल्क विभाग को सीमा शुल्क दर का निर्णय लेना होगा ताकि नीलामी के बाद कई प्रकार के पत्राचार को रोका जा सके।
8. नीलामी के रिकॉर्ड को कंटेनर / लॉट के साथ / रख-रखाव किया जाए और एक नीलामी में ज्यादा कंटेनर/ लॉट नहीं रखा जाना चाहिए। इस प्रभाव के लिए सॉफ्टवेयर को कस्टोडियन द्वारा तैयार किया जा सकता है ताकि लावारिस / अस्पष्ट कंटेनर / लॉट सामान का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
9. एनओसी जारी करने की तारीख से नीलामी प्रक्रिया एच -1 बोली लगाने वाले को प्रेषण की अंतिम तारीख तक 90-100 दिनों से ज्यादा नहीं मिलेगी।
10. सीमा शुल्क को समय-समय पर नीलामियों पर संबंधित कंटेनर / लॉट को शामिल करने की सुविधा के लिए बोलियों पर समय पर रद्दीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

सीवीसी के उपर्युक्त अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए, भले ही यह आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थानों पर कंकोर द्वारा किए जाने वाले प्रथाओं के संबंध में किया गया था, यह कस्टोडियन द्वारा आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में सीमा शुल्क स्टेशनों पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीमा शुल्क (नि), एनईआर और संबंधित सीमा शुल्क अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अस्पष्ट / लावारिस कार्गो की नीलामी सुनिश्चित करे जैसा सीवीसी की प्रक्रिया में सुझाव दिया गया है।



(बंदना देवरी)
आयुक्त

C.No. VIII (48)12/CUS/TECH/ICD/2013/ 9576-93(A)

dated

23 MAY 2018

प्रति सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।

1. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, शिलांग
- 2 उप आयुक्त ,आई सी डी/एलसी एस, मोरेह /एलसीएस, अगरतला
- 3.उप आयुक्त /करीमगंज /इम्फाल /गुवाहाटी /दिमापुर/धुबरी/आइज़ल /सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला / शिलांग ।
4. अध्यक्ष, भारतीय थल बंदरगाह प्राधिकरण , लोक नायक भवन ,पहली मंजिल, खान मार्किट , नई दिल्ली -110511
5. उप प्रबंधक , कोंकोर, आईसीडी, अमिन्गांव
- 6 अधीक्षक, कंप्यूटर कक्ष, सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग को इस स्थायी आदेश को आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करे ।
- 7 निदेशक, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, लोक प्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा , गुवाहाटी ।
8. गार्ड फाइल

रम. चौधरी

(शुभादीप चौधरी)

अधीक्षक